भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोकसभा

अतारांकित प्रश्न संख्या. 39

(सोमवार, 01 दिसंबर, 2025/10 अग्रहायण, 1947 (शक) को उत्तर के लिए)

सीएसआर निधि का आवंटन और उपयोग

39. श्री कोंडा विश्वेश्वर रेड्डीः

क्या **कारपोरेट कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) कंपनी अधिनियम, 2013 के दायरे में कार्यरत सार्वजनिक क्षेत्र के उन उपक्रमों (पीएसयू), निजी कंपनियों और अन्य संस्थाओं का ब्यौरा क्या है जिन्होंने पिछले तीन वर्षों के दौरान कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) निधि में योगदान दिया है;

(ख) तत्संबंध में क्षेत्रवार और राज्यवार, विशेषकर तेलंगाना राज्य में, उपलब्ध सीएसआर निधि की कुल राशि कितनी है;

(ग) क्या सरकार के पास चेवेल्ला लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र, विशेषकर से रंगा रेड्डी और विकाराबाद जिलों सहित, सीएसआर निधि की उपलब्धता और उपयोग का जिलावार रिकॉर्ड है या ऐसा रिकार्ड रखने का प्रस्ताव है;

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) क्या सरकार का चेवेल्ला लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में ग्रामीण विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और निजी कंपनियों से सीएसआर निधि निर्धारित करने या सुकर बनाने का विचार है और यदि हाँ, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री।

(श्री हर्ष मल्होत्रा)

(क): कंपनियों द्वारा एमसीए21 रजिस्ट्री में फ़ाइल सीएसआर व्यय से संबंधित सभी आंकडे www.csr.gov.in पर सार्वजनिक रूप से उपलब्ध हैं। एमसीए21 रजिस्ट्री में की गई वार्षिक फाइलिंग के आधार पर, पिछले तीन वित्तीय वर्षों अथार्त वित्त वर्ष 2021-22 से वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) और गैर-पीएसयू द्वारा सीएसआर व्यय अनुलग्नक-I में संलग्न है।

(ख): पिछले तीन वित्तीय वर्षों अथार्त वित्त वर्ष 2021-22 से वित्त वर्ष 2023-24 के लिए तेलंगाना राज्य सहित सभी राज्यों में विकास क्षेत्र-वार और राज्य-वार सीएसआर व्यय क्रमशः अनुलग्नक-II और III में संलग्न है।

(ग) और (घ): मंत्रालय संसदीय निर्वाचन क्षेत्र-वार सीएसआर व्यय आंकडे नहीं रखता है। तथापि, पिछले तीन वित्तीय वर्षों अथार्त वित्त वर्ष 2021-22 से वित्त वर्ष 2023-24 के लिए तेलंगाना में विकास क्षेत्र-वार और जिला-वार सीएसआर व्यय क्रमशः अनुलग्नक-IV और V में संलग्न है।

(ङ): सीएसआर एक बोर्ड द्वारा संचालित प्रक्रिया है और कंपनी के बोर्ड को अपनी सीएसआर समिति की सिफारिशों के आधार पर सीएसआर कार्यकलापों की योजना बनाने, उन पर निर्णय लेने, उन्हे निष्पादित करने और उन पर निगरानी करने का अधिकार प्राप्त है। सरकार किसी विशेष क्षेत्र या कार्यकलाप में व्यय करने के लिए कारपोरेटस को कोई निर्देश जारी नहीं करती है।

*****

अनुलग्नक-I

दिनांक 01.12.2025 के लिए लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 39 के भाग (क) से संदर्भित

(राशि करोड़ रुपये में)

पीएसयू और गैर-पीएसयू वार सीएसआर व्यय						
पीएसयू/गैर पीएसयू	**कुल कंपनी वि.व. 2021-22**	**वित्त वर्ष 2021-22 में व्यय की गई परियोजना राशि (करोड़ रुपये में)**	**कुल कंपनी वि.व. 2022-23**	**वित्त वर्ष 2022-23 में व्यय की गई परियोजना राशि (करोड़ रुपये में)**	**कुल कंपनी वि.व. 2023-24**	**वित्त वर्ष 2023-24 में व्यय की गई परियोजना राशि (करोड़ रुपये)**
गैर-पीएसयू	19,834	22,734.28	25,940	26,819.99	26,814	30,135.59
पीएसयू	400	4,407.17	437	4,112.08	374	4,773.17
कुल	**20,234**	**27,141.45**	**26,377**	**30,932.07**	**27,188**	**34,908.75**

(31.03.2025 तक के आंकड़े)   [स्रोत: कारपोरेट डेटा प्रबंधन प्रकोष्ठ]

अनुलग्नक-II

दिनांक 01.12.2025 के लिए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 39 के भाग (ख) से संदर्भित
वित्त वर्ष 2021-22 से वित्त वर्ष 2023-24 तक विकास क्षेत्रवार सीएसआर व्यय

(राशि करोड़ रुपये में)

क्रम संख्या	विकास क्षेत्र	वित्त वर्ष 2021-22	वित्त वर्ष 2022-23	वित्त वर्ष 2023-24
1.	कृषि वानिकी	35.52	67.28	74.47
2.	पशु कल्याण	174.35	325.44	531.14
3.	सशस्त्र बल, पूर्व सैनिक, युद्ध विधवाएं/आश्रित	47.65	63.63	68.04
4.	कला और संस्कृति	260.39	449.21	704.04
5.	प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण	274.90	584.65	423.47
6.	शिक्षा	6,719.89	10,414.93	12,134.57
7.	पर्यावरणीय स्थिरता	2,441.82	2,008.04	2,429.97
8.	लैंगिक समानता	104.97	121.15	204.17
9.	स्वास्थ्य सेवा	8,049.49	7,023.60	7,150.81
10.	आजीविका संवर्धन परियोजनाएं	880.50	1,703.64	2,360.09
11.	गरीबी, भुखमरी का उन्मूलन, कुपोषण	1,903.78	1,282.73	1,233.93
12.	ग्रामीण विकास परियोजनाएं	1,847.07	2,059.41	2,408.09
13.	सुरक्षित पेयजल	192.34	252.78	327.45
14.	स्वच्छता	314.53	438.81	375.23
15.	वरिष्ठ नागरिक कल्याण	80.34	153.91	159.82
16.	महिलाओं के लिए घर और छात्रावास स्थापित करना	101.00	49.50	41.80
17.	अनाथालय की स्थापना	27.54	44.99	31.57
18.	स्लम क्षेत्र विकास	58.38	94.22	38.82
19.	सामाजिक-आर्थिक समानताएं	165.30	159.19	200.81
20.	विशेष शिक्षा	191.08	319.50	396.57
21.	प्रौद्योगिकी इनक्यूबेटर	8.57	1.48	1.91
22.	खेलों को बढ़ावा देने के लिए प्रशिक्षण	311.71	542.53	692.09
23.	व्यावसायिक कौशल	1,053.80	1,206.75	1,396.55
24.	महिला सशक्तिकरण	264.94	417.26	454.22
25.	केंद्र सरकार के अन्य फंड	1,631.01	1,145.78	1,000.83
26.	एनईसी/उल्लेख नहीं*	0.59	1.65	68.32
	कुल	27,141.45	30,932.08	34,908.75

(31.03.2025 तक का आंकड़ा) (स्रोत: कारपोरेट डेटा प्रबंधन प्रकोष्ठ)

* कंपनियों ने या तो उन क्षेत्रों के नाम निर्दिष्ट नहीं किए या एक से अधिक क्षेत्रों को इंगित किया जहां परियोजनाएं शुरू की गईं।

*****

अनुलग्नक-III

दिनांक 01.12.2025 के लिए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 39 के भाग (ख) से संदर्भित

वित्त वर्ष 2021-22 से वित्त वर्ष 2023-24 तक राज्यवार सीएसआर व्यय

(राशि करोड़ रुपये में)

क्रम संख्या	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	वित्त वर्ष 2021-22	वित्त वर्ष 2022-23	वित्त वर्ष 2023-24
1.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	9.71	2.53	3.03
2.	आंध्र प्रदेश	663.50	986.77	1,129.75
3.	अरुणाचल प्रदेश	119.42	13.36	39.57
4.	असम	406.42	474.96	488.62
5.	बिहार	178.97	241.41	260.53
6.	चंडीगढ़	51.19	18.44	113.31
7.	छत्तीसगढ़	317.70	609.08	422.73
8.	दादरा और नगर हवेली और दमन एवं दीव	18.27	23.22	30.17
9.	दिल्ली	1,198.50	1,517.07	1,949.95
10.	गोवा	45.43	60.91	85.79
11.	गुजरात	1,613.18	2,060.02	2,707.54
12.	हरियाणा	687.13	720.38	816.95
13.	हिमाचल प्रदेश	140.27	141.40	148.59
14.	जम्मू और कश्मीर	50.68	72.19	98.54
15.	झारखंड	243.95	389.65	414.63
16.	कर्नाटक	1,849.82	2,058.73	2,254.88
17.	केरल	241.58	362.85	387.91
18.	लक्षद्वीप	0.97	0.02	0.36
19.	लेह और लद्दाख	14.84	11.72	30.41
20.	मध्य प्रदेश	427.48	668.32	600.47
21.	महाराष्ट्र	5,407.40	5,705.54	6,065.95
22.	मणिपुर	15.62	53.60	83.19
23.	मेघालय	19.63	22.94	30.94
24.	मिजोरम	6.94	11.01	4.48
25.	नागालैंड	12.46	13.57	15.41
26.	ओडिशा	752.37	994.82	1,389.39
27.	पुडुचेरी	9.31	14.29	32.68
28.	पंजाब	185.41	263.51	351.89
29.	राजस्थान	713.85	1,122.65	1,145.67
30.	सिक्किम	28.24	36.18	41.87
31.	तमिलनाडु	1,441.03	1,637.12	1,968.76
32.	तेलंगाना	688.58	1,040.61	1,054.92
33.	त्रिपुरा	15.91	19.26	9.45
34.	उत्तर प्रदेश	1,345.02	1,213.12	1,545.01
35.	उत्तराखंड	228.09	307.60	360.76
36.	पश्चिम बंगाल	571.89	782.74	862.57
37.	संपूर्ण भारत*	5,789.58	6,104.58	6,960.21
38.	संपूर्ण भारत (अन्य केंद्रीकृत फंड)	1,631.01	1,145.78	1,000.83
39.	एनईसी/उल्लेख नहीं*	0.09	10.12	1.06
	कुल	27,141.45	30,932.08	34,908.75

(31.03.2025 तक के आंकड़े) (स्रोत: कारपोरेट डेटा प्रबंधन प्रकोष्ठ)

*कंपनियों ने या तो राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के नाम निर्दिष्ट नहीं किए थे या एक से अधिक राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को इंगित किया जहां परियोजनाएं शुरू की गई थीं।

*****

अनुलग्नक IV

दिनांक 01.12.2025 के लिए लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 39 के भाग (ग) और (घ) से संदर्भित
वित्त वर्ष 2021-22 से वित्त वर्ष 2023-24 तक तेलंगाना में विकास क्षेत्रवार सीएसआर व्यय

(राशि करोड़ रुपये में)

क्रम संख्या	विकास क्षेत्र	वित्त वर्ष 2021-22	वित्त वर्ष 2022-23	वित्त वर्ष 2023-24
1.	कृषि वानिकी	1.44	1.29	1.42
2.	पशु कल्याण	4.34	4.10	4.08
3.	सशस्त्र बल, पूर्व सैनिक, युद्ध विधवाएं/आश्रित	1.47	0.06	0.68
4.	कला और संस्कृति	5.19	11.59	39.04
5.	प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण	10.85	27.47	15.08
6.	शिक्षा	224.86	348.58	391.43
7.	पर्यावरणीय स्थिरता	38.99	52.51	46.60
8.	लैंगिक समानता	4.68	2.30	7.33
9.	स्वास्थ्य सेवा	196.80	210.43	207.57
10.	आजीविका संवर्धन परियोजनाएं	13.54	16.23	22.33
11.	गरीबी, भुखमरी का उन्मूलन, कुपोषण	28.60	80.45	63.69
12.	ग्रामीण विकास परियोजनाएं	59.10	81.30	109.27
13.	सुरक्षित पेयजल	9.95	14.81	8.12
14.	स्वच्छता	3.53	13.71	7.72
15.	वरिष्ठ नागरिक कल्याण	3.68	5.87	7.02
16.	महिलाओं के लिए घर और छात्रावास स्थापित करना	0.42	1.26	2.28
17.	अनाथालय की स्थापना	1.82	5.51	2.86
18.	स्लम क्षेत्र विकास	35.46	58.07	0.44
19.	सामाजिक-आर्थिक समानताएं	1.27	1.94	5.36
20.	विशेष शिक्षा	6.67	11.15	13.08
21.	प्रौद्योगिकी इनक्यूबेटर	1.18	0.03	-
22.	खेलों को बढ़ावा देने के लिए प्रशिक्षण	6.70	12.71	19.11
23.	व्यावसायिक कौशल	20.91	52.23	40.03
24.	महिला सशक्तिकरण	7.10	27.01	38.75
25.	एनईसी/उल्लेख नहीं*	-	-	1.62
कुल		688.58	1,040.61	1,054.92

(31.03.2025 तक का आंकड़ा) (स्रोत: कारपोरेट डेटा प्रबंधन प्रकोष्ठ)

*कंपनियों ने या तो उन क्षेत्रों के नाम निर्दिष्ट नहीं किए या एक से अधिक क्षेत्रों को इंगित किया जहां परियोजनाएं शुरू की गईं।

अनुलग्नक V

दिनांक 01.12.2025 के लिए लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 39 के भाग (ग) और (घ) से संदर्भित

वित्त वर्ष 2021-22 से वित्त वर्ष 2023-24 तक तेलंगाना में जिलेवार सीएसआर व्यय				
क्रम संख्या	**जिला**	**वित्त वर्ष 2021-22**	**वित्त वर्ष 2022-23**	**वित्त वर्ष 2023-24**
1	आदिलाबाद	8.31	10.31	14.95
2	भद्राद्री कोठागुडेम	3.53	0.11	3.98
3	हनुमाकोंडा	-	-	-
4	हैदराबाद	395.54	657.22	679.78
5	जगतियल	0.00	-	-
6	जंगोअन	0.00	-	-
7	जयशंकर भूपालपल्ली	0.23	-	-
8	जोगुलम्बा गडवाल	0.05	-	-
9	कामारेड्डी	0.11	-	-
10	करीमनगर	13.46	11.28	20.96
11	खम्मम	7.94	26.39	18.61
12	कुमुराम भीम आसिफाबाद	0.12	0.02	-
13	महबूबाबाद	-	-	0.00
14	महबूबनगर	13.27	30.69	26.54
15	मंचेरियल	-	-	-
16	मेडक	27.54	48.01	45.53
17	मेडचल मलकाजगिरी	1.31	0.44	1.29
18	मुलुगु	-	-	0.02
19	नागरकुरनूल	0.25	-	0.99
20	नलगोंडा	16.50	30.32	25.82
21	नारायणपेट	-	-	-
22	निर्मल	0.05	-	-
23	निजामाबाद	2.69	3.87	10.78
24	पेद्दापल्ली	-	-	0.03
25	राजन्ना सिरसिल्ला	0.81	0.28	0.10
26	रंगा रेड्डी	70.17	83.65	119.23
27	संगारेड्डी	4.88	0.98	0.69
28	सिद्दीपेट	1.93	0.03	-
29	सूर्यापेट	0.15	-	0.58
30	विकाराबाद	-	66.94	-
31	वानापर्थी	0.05	0.06	-
32	वारंगल	0.11	22.40	25.86
33	यादाद्री भुवनगिरी	0.13	0.14	2.15
34	जिले को कहीं और वर्गीकृत नहीं किया गया है	119.44	47.48	57.02
कुल		**688.58**	**1,040.61**	**1,054.92**

(31.03.2025 तक का आंकड़ा) (स्रोत: कारपोरेट डेटा प्रबंधन प्रकोष्ठ)

*****